

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

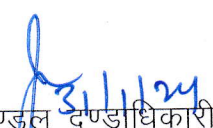
दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष - सुमति देवीबगैरह ।

बनाम

सं० 43 / 2023

द्वितीय पक्ष - राम किशोर गोप बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 10/2023 दिनांक 25/05/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) सुमति देवी, पति स्व० मुनु गोप उर्फ दशरथ गोप, ग्राम कराकेल, पोस्ट कराकेल (2) जानकी देवी पति श्री जनकदेव गोप, ग्राम +पो० पतराचौली, थाना नगड़ी जिला राँची बनाम द्वितीय पक्ष (1) राम किशोर गोप, पिता स्व० मुनु गोप उर्फ दशरथ गोप, ग्राम कराकेल, पोस्ट पोकला (2) निरंजन साहु, पिता स्व० दुर्बल साहु ग्राम कोडेकेरा, (3) प्रेमशीला देवी, पति श्री देवेन्द्र साहु, ग्राम कामडारा (4) ईन्द्रावती देवी, पति श्री भीष्मनारायण कुमार (5) श्री भीष्मनारायण कुमार पिता श्री दुर्गेन्द्र गोप, ग्राम कुली, (6) संजय सिंह पिता देवनारायण सिंह ग्राम तुरबुल (7) दिनेश साहु पिता श्री देवेन्द्र साहु ग्राम रैयकेरा सभी थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर विवाद है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	